न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–अशोक कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 28/2020

डॉ. अम्बेडकर नव युवक संघ जैतसर तहसील श्रीविजयनगर मार्फत ओम प्रकाश पुत्र मालाराम धानक बहैसियत

बनाम

1. श्री बलतेज कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 जीबी तहसील श्रीविजयनगर
2. सरपंच ग्राम पंचायत जैतसर तहसील श्रीविजयनगर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थितः–

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री इन्द्रजीत सिंह डाबी, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01

निर्णय

दिनांकः–04.11.2020

1. यह निगरानी ग्राम पंचायत जैतसर के आदेश दिनांक 23.12.1998 जिसके द्वारा ग्राम पंचायत जैतसर ने 23 जी ब्लॉक का अहाता पैमूदा 50 X 75 का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 बलतेज कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 जीबी तहसील श्रीविजयनगर के नाम जारी कर दिया, के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।
2. निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने जरिये अधिवक्ता निगरानी पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत जैतसर ने विवादित भूमि पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का पूर्व में कब्जा मानकर पट्टा जारी किया है जो कतई गलत व नियम विरूद्व अंकन किया है। उक्त आदेश एकतरफा जारी किया गया है ना तो किसी अनुरूप मौका की जांच की गई और ना ही मौका पर क्या निर्माण है और ना ही स्पष्ट नक्शा बनाया गया । वास्तव में मौका पर गैर निगरानीकर्ता का तो पूर्व में कभी कब्जा था ही नही बल्कि उक्त भूमि पर अम्बेडकर नवयुवक संघ का कब्जा है । बिना कब्जा काश्त के आधार पर अहाता का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता के नाम से जारी किया गया है जो निरस्ती योग्य है। उक्त अहाता का ही पट्टा अम्बेडकर सोसायटी को निशुल्क दिनांक 31.01.2006 को दिया गया था मौका पर उक्त सोसायटी का कब्जा है व सोसायटी उक्त प्लॉट पर पूर्ण रूप से काबिज है व अम्बेडकर नवयुवक संघ उपयोग हेतु नवनिर्माण कर रही थी तब बलतेज ने मौके पर आकर उक्त भूमि का अपना पट्टा दिखाकर मौका को विवादित बताते हुए निर्माण रूकवाया। तब तुरन्त सरपंच से मिल व गैरनिगरानीकर्ता के आवंटन की पत्रावली व आदेश की नकल मांगी जो उन्हे नहीं दी गई व ना ही लिखित में पत्रावली उपलब्ध नही करवाने का कोई कारण बताया गया। अहाता का नम्बर नक्शे में अंकित नही है जो अहाता का आसा–पासा दिखाया गया है वो गैर निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के पट्टो में समान है इसलिए निगरानीकर्ता हितबद्व पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत करने के हकदार है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। जैर निगरानी आदेश दिनांक 23.12.1998 को पट्टा जारी करते समय निगरानीकर्ता को सुना नही गया पीछ पीछे एक तरफा तौर पर पारित आदेश है जो कि प्राकृतिक न्याय व सिद्वान्तों के विपरित पारित किया गया है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निगरानी अन्दर मियाद शुमार करते हुए निगरानी स्वीकार की ग्राम पंचायत द्वारा का आदेश दिनांक 23.12.1998 निरस्त किया जावे।
3. निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगरानी को जरिये सम्मन तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा एवं गैर निगरानीकर्ता संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह डाबी हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में निगरानी व लिखत बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत जैतसर ने विवादित भूमि पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का पूर्व में

अशोक मीना
4/11/20

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

कब्जा मानकर पट्टा जारी किया है जो कतई गलत व नियम विरूद्व अंकन किया है। उक्त आदेश एकतरफा जारी किया गया है ना तो किसी अनुरूप मौका की जांच की गई और ना ही मौका पर क्या निर्माण है और ना ही स्पष्ट नक्शा बनाया गया । वास्तव में मौका पर गैर निगरानीकर्ता का तो पूर्व में कभी कब्जा था ही नही बल्कि उक्त भूमि पर अम्बेडकर नवयुवक संघ का कब्जा है । बिना कब्जा काश्त के आधार पर अहाता का पट्टा गैरनिगरानीकर्ता के नाम से जारी किया गया है जो निरस्ती योग्य है। उक्त अहाता का ही पट्टा अम्बेडकर सोसायटी को निशुल्क दिनांक 31.01.2006 को दिया गया था मौका पर उक्त सोसायटी का कब्जा है व सोसायटी उक्त प्लॉट पर पूर्ण रूप से काबिज है व अम्बेडकर नवयुवक संघ उपयोग हेतु नवनिर्माण कर रही थी तब सुखजिन्द्र ने मौके पर आकर उक्त भूमि का अपना पट्टा दिखाकर मौका को विवादित बताते हुए निर्माण रूकवाया। तब तुरन्त सरपंच से मिल व गैरनिगरानीकर्ता के आवंटन की पत्रावली व आदेश की नकल मांगी जो उन्हे नहीं दी गई व ना ही लिखित में पत्रावली उपलब्ध नही करवाने का कोई कारण बताया गया। अहाता का नम्बर नक्शे में अंकित नही है जो अहाता का आसा–पासा दिखाया गया है वो गैर निगरानीकर्ता व निगरानीकर्ता के पट्टो में समान है इसलिए निगरानीकर्ता हितबद्व पक्षकार होने से निगरानी प्रस्तुत करने के हकदार है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। निगरानी मियाद बाहर प्रस्तुत करने का तथ्य निराधार है। प्रथमतः निगरानी हेतु मियाद पंचायत राज अधिनियम में अंकित नहीं है। द्वितीय मियाद का प्रश्न यदि माना भी जावे उस अवस्था में गैर निगरानीकर्ता को हुए आवंटन के समय निगरानीकर्ता को किसी प्रकार का सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। आरआरडी 1997 पेज 297 एवं आरबीजे 2017 पेज 31 की ओर ध्यान दिलाया। धारा 97 में निगरानी की विशिष्ट प्रावधान है जो सीधे ही उपयोग में लाये जा सकते है। निगरानी प्रस्तुत करने से पूर्व अपील की जानी आवश्यक नही है। पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 140 से 158 में रिहायशी प्लाट का पट्टा निलामी द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान है जो धारा 141 से स्पष्ट है, जबकि ग्राम पंचायत ने प्रकिया के विपरीत पट्टा स्वीकृत किया है। जैर प्रकरण भूमि पर निगरानीकर्ता का कतई कब्जा नहीं धा खाली भूमि बिना निलामी नहीं दी जा सकती। ग्राम पंचायत ने गुपचुप रूप से मन माफिक भूमि आवंटन नियम विरूद्व प्राथमिक रूप से गलत किया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलआर 2003 पेज 785 की ओर ध्यान दिलाया। न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 253 वर्ष 2013 की ओर ध्यान दिलाकर निवेदन है कि निगरानीकर्ता प्रकरण में प्रभावी पक्षकार है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे व निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाकर धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे व ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता ने निगरानी संख्या संख्या 28/2020 अनवान डॉ. अम्बेडकर नव युवक संघ जैतसर तहसील श्रीविजयनगर मार्फत ओम प्रकाश पुत्र मालाराम धानक बहैसियत बनाम बलतेज कौर पत्नी जीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 जीबी तहसील श्रीविजयनगर व निगरानी संख्या 29/2020 अनवान डॉ. अम्बेडकर नव युवक संघ जैतसर तहसील श्रीविजयनगर मार्फत ओम प्रकाश पुत्र मालाराम धानक बहैसियत बनाम सुखजिन्द्र सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 जीबी तहसील श्रीविजयनगर में एक्जाई लिखित बहस पेश की। दौराने बहस लिखित बहस के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि बलतेज कौर, सुखजिन्द्र सिंह को दिनांक 23.12.1998 को ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड संख्या 23 व 24 जी ब्लॉक का पट्टा काटा गया। जिस पर गैरनिगरानीकर्ता काबिज है। और अम्बेडकर नवयुवक संघ जैतसर को दिनांक 31.01.2006 को कोई पट्टा उक्त भूखण्ड संख्या 23 व 24 जी ब्लॉक का काटा गया हो ऐसा कोई साक्ष्य ग्राम पंचायत जैतसर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अब बि किसी अधिकार पत्र उक्त अनाधिकृत व्यक्ति ओम प्रकाश द्वारा 21 वर्षो बाद अपील प्रस्तुत की गई जो कि मियाद बाहर है। मियाद को कण्डोन किया जाना उचित नही है। भूखण्ड संख्या 23 व 24 जी ब्लॉक के पट्टे के संबंध में कोई अपील बीडीओ व सिविल न्यायालय में पेश नही की गई है व नही भूखण्ड संख्या 23 व 24 जी ब्लॉक के पट्टे को चुनौती दी गई व ना ही कोई प्रकरण लम्बित है। ग्राम पंचायत जैतसर ने आवंटन राशि जमा करवाने के पश्चात ही भूखण्ड संख्या 23 व 24 जी ब्लॉक का पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत की रसीद बुको में वर्णित रसीदो के मुताबिंक ग्राम पंचायत रोकड बुक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

रकम जमा होने का इन्द्राज है। इसलिए भूखण्ड़ संख्या 23 व 24 जी ब्लॉक का पट्टा वैघ वैघानिक प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र 21 वर्ष बाद प्रस्तुत करने के कारण काबिले निरस्ती होने के कारण निगरानी भी मियाद बाहर है। क्योंकि दिनांक 23.12.1998 को बलतेज कौर, सुखजिन्द्र सिंह को ग्राम पंचायत जैतसर द्वारा पट्टा जारी हो चुका था जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत की रोकड बुक से साबित है। दिनांक 23.12.1998 को डॉ. अम्बेडकर नवयुवक संघ जैतसर का अस्तित्व में भी होना ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पत्रावली में पेश नही है। अतः निगरानी खारिज होने योग्य है।

6. योग्य अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैरनिगरानीकर्ता की बहस पर चिन्तन, मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 23.12.1998 के विरूद्ध दिनांक 09.7.2020 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपीलांटगण द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण अपील के साथ मियाद अधिनियम की दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खंडन रेस्पों0 द्वारा प्रति शपथपत्र प्रस्तुत कर नहीं किया गया है। इसलिये न्याय हित में प्रा.पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया। जिससे पाया कि प्रकरण में निगरानीकर्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर मात्र राजस्व महाभियान 2006 में जारी निःशुल्क पट्टे की प्रति पेश की है, इसके अलावा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। पंचायती राज अधिनियम के तहत कब्जे के आधार पर नियमन करने का प्रावधान है जबकि निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे जैर प्रकरण भूमि पर उनका कब्जा साबित हो सके। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1997 पेज 297, आरबीजे 2017 पेज 31, आरएलआर 2008 (3) पेज 785 भी इस इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner